



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245631
CG-DL-E-03052023-245631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1948]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1948]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2036(अ)—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने व्यवसाय के अनुक्रम में किसी सुसंगत व्यक्ति द्वारा अपने मुवक़िल की ओर से वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में निम्नलिखित क्रियाकलापों को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित करती है,—

- किसी अचल संपत्ति का क्रय और विक्रय ;
- मुवक़िल के धन, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का प्रबंध करना ;
- बैंक, बचत या प्रतिभूति लेखाओं का प्रबंधन ;
- कंपनियों के सृजन, प्रचालन या प्रबंध के लिए अभिदायों का संगठन ;
- कंपनियों, सीमित दायित्व भागीदारियों या न्यासों का सृजन, प्रचालन या प्रबंध और कारबार अस्तित्वों का क्रय और विक्रय करना ।

स्पष्टीकरण 1— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(i) कोई व्यक्ति, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 6 के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है और जो व्यक्तिगत रूप से या किसी फर्म, चाहे यह जिस भी रीति में गठित की गई हो, के माध्यम से व्यवसाय कर रहा है ;

(ii) कोई व्यष्टिक, जिसने कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 6 के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है और जो व्यक्तिगत रूप से या किसी फर्म, चाहे यह जिस भी रीति में गठित की गई हो, के माध्यम से व्यवसाय कर रहा है ;

(iii) कोई व्यष्टिक, जिसने लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 6 के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है और जो व्यक्तिगत रूप से या किसी फर्म, चाहे यह जिस भी रीति में गठित की गई हो, के माध्यम से व्यवसाय कर रहा है ।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “फर्म” का वही अर्थ होगा जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (23) के उपखंड (iv) में है ।

[फा.सं. पी-12011/12/2022-ईएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्र, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2036(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby notifies that the financial transactions carried out by a relevant person on behalf of his client, in the course of his or her profession, in relation to the following activities-

- (i) buying and selling of any immovable property;
- (ii) managing of client money, securities or other assets;
- (iii) management of bank, savings or securities accounts;
- (iv) organisation of contributions for the creation, operation or management of companies;
- (v) creation, operation or management of companies, limited liability partnerships or trusts, and buying and selling of business entities,

shall be an activity for the purposes of said sub-section.

Explanation 1.- For the purposes of this notification ‘relevant person’ includes –

- (i) an individual who obtained a certificate of practice under section 6 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and practicing individually or through a firm, in whatever manner it has been constituted;
- (ii) an individual who obtained a certificate of practice under section 6 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and practicing individually or through a firm, in whatever manner it has been constituted;
- (iii) an individual who has obtained a certificate of practice under section 6 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and practicing individually or through a firm, in whatever manner it has been constituted.

Explanation 2.- For the purposes of this notification ‘firm’ shall have the same meaning assigned to it in sub-clause (i) of clause (23) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. P-12011/12/2022-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)